निर्णय बईजलास श्री सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 11/अपील/19 तारीख दायरा 27.08.2019

उनवान अपील

01. बसन्तीलाल आ0 बापूलाल जाति पाटीदार नि0 ग्राम दोबड़ी तहसील पिड़ावा
02. कन्हीराम उर्फ कन्हैया लाल जाति पाटीदार नि0 ग्राम दोबड़ी तहसील पिड़ावा
03. सीताराम आ0 जगन्नाथ जाति पाटीदार नि0 ग्राम दोबड़ी तहसील पिड़ावा
04. सियाराम आ0 जगन्नाथ जाति पाटीदार नि0 ग्राम दोबड़ी तहसील पिड़ावा
05. रामबक्श आ0 जगन्नाथ जाति पाटीदार नि0 ग्राम दोबड़ी तहसील पिड़ावा
06. रमेश उर्फ रामेश्वर आ0 जगन्नाथ जाति पाटीदार नि0 ग्राम दोबड़ी तहसील पिड़ावा (अपीलान्टस्)

बनाम

01. लालचन्द आ0 कन्हैयालाल जाति भील नि0 ग्राम दोबड़ी तहसील पिड़ावा (रेस्पोडेन्ट)

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 25.07.2019 न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा अन्तर्गत मिसल न0 2/2018 बउनवान लालचन्द विरूद्ध बसन्ती लाल अन्तर्गत धारा 183 बी रा.टी.एक्ट

उपस्थित:– श्री विजय कुमार जैन, अभिभाषक अपीलान्ट्स
श्री चरण सिंह,अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :– दिनांकः 19.02.2020

यह अपील अपीलान्टस् द्वारा तहसीलदार पिड़ावा के आदेश दिनांक 25.07.2019 जो मिसल न0 02/2018 पर पारित किया जाकर ग्राम दोबड़ी तहसील रायपुर की आराजी ख0न0 192 रकबा 0.07 बीघा व ख0न0 194 रकबा 2.06 बीघा कुल किता 2 रकबा 2–13 बीघा भूमि पर से बेदखल करने के निर्णय से असन्तुष्ट होकर पेश की है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मेंमो में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं पत्र संग्रह सार के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लालचन्द आ0 कन्हैयालाल भील द्वारा ग्राम दोबडी की स्वंय की गैर खातेदारी भूमि ख0न0 192 रकबा 0.07 बीघा व ख0न0 194 रकबा 2.06 बीघा कुल किता 2 रकबा 2–13 बीघा भूमि पर अप्रार्थीगण का जबरन कब्जा बाबत प्रा0पत्र पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई इस कानूनी बिन्दु व तथ्य पर गोर न कर भारी भूल की है कि रेस्पो0 को किया गया आवंटन दिनांक 17.06.1992 को स्वंय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर इसका इन्तकाल संख्या 65 खोल दिया था उक्त दस्तावेज पत्रावली पर भी उपलब्ध था व स्वंय अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य का उल्लेख अपने निर्णय में किया गया है। पटवारी की रिपोर्ट पर वर्तमान में उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट के गेर खातेदारी में दर्ज मान लिया गया, जबकि मूल नामान्तरकरण सख्या 65 दिनांक 17.06.1992 का इन्द्राज जमाबन्दी में किया जाना था जो नही किया गया । माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गोर न कर भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है कि रेस्पोडेन्ट का प्रा0पत्र पोषणीय ही नही था,क्योंकि वक्त पेश किये जाते समय प्रा0पत्र पर रेस्पोडेन्ट का विवादग्रस्त आराजी पर कोई अधिकार ही हासिल नही था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की और से अभिभाषक श्री चरण सिंह उपस्थित हुए ।

जिला कलक्टर
झालावाड़

बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं पत्र संग्रह सार के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.07.2019 को लालचन्द आ0 कन्हैयालाल भील द्वारा ग्राम दोबडी की स्वंय की गैर खातेदारी भूमि ख0न0 192 रकबा 0.07 बीघा व ख0न0 194 रकबा 2.06 बीघा कुल किता 2 रकबा 2--13 बीघा भूमि पर अप्रार्थीगण का जबरन कब्जा बाबत प्रा0पत्र पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई इस कानूनी बिन्दु व तथ्य पर गोर न कर भारी भूल की है कि रेस्पो0 को किया गया आवंटन दिनांक 17.06.1992 को स्वंय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर इसका इन्तकाल संख्या 65 खोल दिया था उक्त दस्तावेज पत्रावली पर भी उपलब्ध था व स्वंय अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य का उल्लेख अपने निर्णय में किया गया है। पटवारी की रिपोर्ट पर वर्तमान में उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते गेर खातेदारी में दर्ज मान लिया गया, जबकि मूल नामान्तरकरण संख्या 65 दिनांक 17.06. 1992 का इन्द्राज जमाबन्दी में किया जाना था जो नही किया गया । माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गोर न कर भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है कि रेस्पोडेन्ट का प्रा0पत्र पोषणीय ही नही था,क्योंकि वक्त पेश किये जाते समय प्रा0पत्र पर रेस्पोडेन्ट का विवादग्रस्त आराजी पर कोई अधिकार ही हासिल नही था। वाद ग्रस्त आराजी राज्य सरकार के पक्ष में हो चुकी है,अपीलान्ट्स् जिस भूमि पर काबिज है वह सरकारी भूमि है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

इस पर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा व्यक्त किया कि 1992 में नामान्तरकरण खारिज किया गया है,जबकि उक्त आराजी आज भी रेस्पोडेन्ट की गेर खातेदारी में दर्ज है और इसी आशय की रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष पटवारी द्वारा किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है जो उचित है।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य विवाद बिन्दु यह है कि एस सी/एस टी वर्ग को आवंटित आराजी जिस पर बाद आवंटन आंवटी को कब्जा दिया ही नही गया व आराजी आंवटी की गैर खातेदार में दर्ज है उक्त भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया अतिक्रमण क्या उचित है? पत्रावली के अवलोकन से यह तो जाहिर है कि पटवारी हल्का द्वारा ग्राम दोबडी की आराजी ख0न0 192 रकबा 0.07 बीघा व ख0न0 194 रकबा 2.06 बीघा भूमि बाबत आवंटन की शर्तो की पालना आवंटी द्वारा नही करने की रिपोर्ट व उक्त रिपोर्ट पर आईएलआर द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष की जाने पर तहसीलदार द्वारा समस्या समाधान शिविर में दिनांक 17.06.1992 को आवंटन शर्तो की पालना नही करने पर नामान्तरण 65 खारिज कर दिया गया, किन्तु उक्त नामान्तरण खारिज करने पर वादग्रस्त आराजी को खाता सरकार नही किया गया और उक्त भूमि आंवटी की गैर खातेदारी में ही रही, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी 2069--2072 अनुसार उक्त आराजी लालचन्द आ0 कन्हैयालाल की गैर खातेदारी में दर्ज है व पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी अनुसार उक्त आराजी पर रेस्पो0 का कब्जा है। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर ही आराजी जो अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को 16.11.1975 को आंवटित हुई थी व आवंटी की गैर खातेदारी में दर्ज है उक्त आराजी पर अन्य व्यक्ति का कब्जा साबित है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183 बी में स्पष्ट किया गया है इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में कुछ भी बात होते हुए भी वह अतिक्रमी जिसने अनुसुचित जाति अथवा अनुसुचित जन जाति के किसी सदस्य द्वारा धारित किसी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया है अथवा कब्जा बनाये रखा है,उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के आवेदन पर, जो कि उसे बेदखल कराने के हकदार हों ,बेदखली का दायी होगा। इस प्रकार तहसीलदार पिड़ावा द्वारा अनुसुचित जन जाति के व्यक्ति की भूमि पर से बेदखली का जो आदेश दिया गया है उचित है। उपरोक्तानुसार विवेचन के आधार पर अपील के माध्यम से

जिला कलक्टर
झालावाड़

अपीलान्ट को किसी भी तरह का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यंहा दिनांक 17.06.1992 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम दोबडी के निरस्त किये गये नामान्तरकरण संख्या 65 बाबत लिखना उचित होगा कि आंवटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नही किये जाने पर उक्त आंवटन को विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किये जाकर निरस्त करवाने हेतु नियमों में प्रावधान हैं,सक्षम अधिकारी द्वारा बाद सुनवाई शर्तो की अवहेलना पाये जाने पर आंवटी को किये गये आंवटन को निरस्त करने के नियमानुसार आदेश दिये जाने पर नामान्तरकरण स्वतः ही निरस्त हो जाता है। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.07.2019 में भी इस प्रकार स्पष्ट किया गया है "पत्रावली की सरसरी जांच करने पर कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 के अंतर्गत सिवायचक भूमि को उसी गांव के निवासी एंव अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि आंवटन किया जाता है। इस आधार पर भूमि का आंवटन सही हुआ है तथा नियम 14(4)के अंतर्गत आवंटन निरस्तीकरण की कोई कार्यवाही उचित नही है। आंवटी को आंवटन शुदा भूमि पर शुरू से ही काबिज नही किया गया। अप्रार्थीगणों का उक्त भूमि पर कोई अधिकार नही बनता है।"उपरोक्तानुसार इस निर्णय के माध्यम से तहसीलदार द्वारा दिनांक 17.06.1992 को खारिज किये गये नामान्तरकरण संख्या 65 के आदेश को इस निर्णय के माध्यम से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांकः 19.02.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़